न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 06/2020

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. उन्दरराम पुत्र भानाराम जाति माली निवासी सोजतसिटी तह0 सोजत, जिला पाली।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री रमेश टांक अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

दिनांक – 17.08.2020

–: निर्णय :–

2020

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक 2 तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खसरा नम्बर 1113 रकबा 2.2600 हैक्टर की भूमि प्रार्थी स्वयं की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि का पर्चा लगान वक्त सेटलमेंट जारी किया गया। जिसमें भी प्रार्थी का उन्दरराम पुत्र भानाराम, जाति माली दर्ज है। सैटलमेंट के पश्चात् सम्वत् 2046 से 2049 की जमा बंदी में प्रार्थी का नाम उन्दरराम पुत्र मानाराम ही दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही नाम उन्दरराम पुत्र भानाराम ही है, जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट साबित है। प्रार्थी की खातेदारी की अन्य कृषि में भी प्रार्थी का सही नाम उन्दरराम पुत्र भानाराम जाति माली दर्ज है। सोजत चक 2 के खसरा संख्या खसरा नम्बर 1113 रकबा 2.2600 हैक्टर का खातेदार प्रार्थी उन्दरराम पुत्र भानाराम जाति माली साकिन देह खातेदार दर्ज होना चाहिए उसके स्थान पर राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश उन्दरराम पुत्र मानाराम कौम माली साकिन देह खातेदार दर्ज कर दिया गया है। सोजत चक 2 के खसरा संख्या 1113 रकबा 2.2600 हैक्टर का पर्चा लगान भू–प्रबंध विभाग जोधपुर द्वारा जारी किया गया, जिसमें खातेदार उन्दरराम वल्द भानाराम, जगदीश, श्यामा पिसरान उन्दर कौम माली साकिन देह खातेदार के नाम से जारी किया गया है। खसरा संख्या 1113 रकब 2. 2600 हैक्टर की मिसल बन्दोबस्त में इन्द्राज किये गये। इस मिसल बन्दोबस्त में भी प्रार्थी का नाम उन्दरराम पुत्र भानाराम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2046–49 में प्रार्थी उन्दरराम पुत्र मानाराम कौम माली साकिन देह खातेदार गलत अंकित कर दिया गया। प्रार्थी ने दिनांक 31.12.2019 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो पता चला की प्रार्थी के पिता भानाराम है, फिर भी जमाबन्दी में भानाराम के बजाय मानाराम गलत दर्ज कर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

दिया। जो त्रुटि दुरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त आशय का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक 2 तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खसरा नम्बर 1113 रकबा 2.2600 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम उन्दरराम पुत्र मानाराम कौम माली के स्थान पर उन्दरराम पुत्र भानाराम साकिन देह खातेदार के नाम से शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाव प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाव प्रा0 पत्र दिनांक 18.08.2020 को पेश कर प्रा0 पत्र में वर्णित बिन्दु 1 के तथ्यों को स्वीकार कर, प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकॉर्ड में उन्दराम पुत्र मानाराम के स्थान पर उन्दरराम पुत्र भानाराम किये जाने में कोई आपति नही होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, भू–प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान, की छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबन्दी सम्वत् 2046–49, 2054–2057, 2058–2061, व सम्वत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रतिया पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 1113 रकबा 2.2600 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम उन्दरराम पुत्र मानाराम कौम माली के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से उन्दरराम पुत्र भानाराम साकिन देह खातेदार सा0 सोजत चक 2 दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत द्वारा उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने में कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्रों मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, भू0प्रबन्धक विभाग के खसरा मिलान के कॉलम नम्बर 01 में ,खसरा नम्बर 1113 दर्ज सुदा है, तथा कॉलम नम्बर 22 में उन्दरराम वल्द भाना व 23 में उन्दरराम वल्द भानाराम दर्ज सुदा है। भू–प्रबन्धक विभाग के संशोधन पत्रक पर्चा लगान मे भी प्रार्थी के पिता का नाम उन्दर पुत्र भानाराम दर्ज सुदा है। इसी खसरा नम्बर अर्थात 1113 की पश्चातवर्ती जमाबन्दीयों में यथा 2046–49, 2054–2057, 2058–2061, व 2070–2073 में प्रार्थी के पिता का नाम उन्दरराम वल्द भानाराम के स्थान पर उन्दरराम वल्द मानाराम गलत रूप से दर्ज होना बखूबी प्रमाणित होता है। लिहाजा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा–सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

चक 2 तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1113 रकबा 2.2600 हैक्टर की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम उन्दरराम पुत्र मानाराम कौम माली के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से उन्दरराम पुत्र भानाराम साकिन देह खातेदार दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा–सोजत चक 2 तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1113 रकबा 2.2600 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत रूप से दर्ज नाम उन्दरराम पुत्र मानाराम कौम माली के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से उन्दरराम पुत्र भानाराम साकिन देह खातेदार दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.